प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष –2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 470/2022

अनवान : –

1. दोलताराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. हरचन्द पुत्र तुलछा जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. रूपेश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. भवानीसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. शादरा पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. बिमादेवी पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. कमलेश पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक: 23.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 664/640 के खसरा न0 66/2, 67/2 की कुल 10.1170है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 254/241 के खसरा न0 205/2 की 4.5520है0, खसरा न0 206/3 की 1.6700है0 भूमि खसरा न0 207/2 की 2.7830है0 कुल 9.0050है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 4 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाईयों के [illegible] है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार [illegible] प्रतिवादीगण ने वादी को दे दी व रोही मौजा ननाऊ की वाद भूमि [illegible] ने अपने नाम रख [illegible] प्रतिवादी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया था इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 7 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा मुन्सरी की वाद भूमि प्रतिवादीगण ने वादी को दे दी व रोही मौजा ननाऊ की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 स्वयं ने अपने नाम रख ली अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 254/241 के खसरा न0 205/2 की 4.5520है0, 206/3 की 1.6700है0, 207/2 की 2.7830है0 कुल 9.0050 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 हरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेज से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध ... के बयान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी सं0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 254/241 के खसरा न0 205/2 की 4.5520है0, 206/3 की 1.6700है0, 207/2 की 2.7830है0 कुल 9.0050 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 711/2022

अनवान : –

1. दोलतराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हरचन्द पुत्र तुलछा जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. रूपेश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. भवानीसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. शादरा पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. बिमादेवी पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. कमलेश पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 711 सन 2022 निर्णय दिनांक 23.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 254/241 के खसरा न0 205/2 की 4.5520है0, 206/3 की 1.6700है0, 207/2 की 2.7830है0 कुल 9.0050 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested